

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu

राजभाषा विभाग, सचिवालय / Rajbhasha Vibhag, Sachivalay

सं. रा.भा. 2(1) /रा.भा.समिति गठन / 96-07/

दमण, दिनांक : 14/ 02/2007

पढ़ें :- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन सं.12021/02/2004-रा.भा./कार्यान्वयन-2, दिनांक 14-08-2006.

अ धि सू च ना / NOTIFICATION

उपर्युक्त उद्देशिका में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन एवं संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-7, मद सं. 16.5 (त) में की गई सिफारिशों के अनुसार लिये गये निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई किये जाने के उद्देश्य से प्रशासक, दमण एवं दीव के सभी कार्यालय में कार्यालय अध्यक्षों की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन उप-समितियों का निम्न प्रकार गठन करते हैं , जिनकी बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाह में आयोजित की जायेंगी । पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति के पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन अगले तिमाह की बैठक में किया जायेगा ।

1. प्रशासक, सचिवालय

- | | |
|--|--------------|
| 1. माननीय प्रशासक की निजी सचिव | अध्यक्ष |
| 2. सभी आशुलिपिक / लेखाकार | - सदस्य |
| 3. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक | - सदस्य |
| 4. हिन्दी समन्वयक | - सदस्य सचिव |

2. विकास आयुक्त का कार्यालय

- | | |
|--|--------------|
| 1. उप-सचिव (विकास) | - अध्यक्ष |
| 2. अधीक्षक (विकास) | - उपाध्यक्ष |
| 3. सहायक | - सदस्य |
| 4. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक | - सदस्य |
| 5. हिन्दी समन्वयक | - सदस्य सचिव |

3. वित्त विभाग, सचिवालय, दमण

- | | |
|--|--------------|
| 1. उप-सचिव (वित्त) | - अध्यक्ष |
| 2. सहायक | - सदस्य |
| 3. सभी आशुलिपिक | - सदस्य |
| 4. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक | - सदस्य |
| 5. हिन्दी समन्वयक | - सदस्य सचिव |

4. विधि विभाग, सचिवालय, दमण

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. विधि सचिव | - अध्यक्ष |
| 2. आशुलिपिक | - सदस्य |
| 3. सभी अवर श्रेणी लिपिक | - सदस्य |
| 4. हिन्दी समन्वयक | - सदस्य सचिव |

5. उप सचिव (शिक्षा)कार्यालय, सचिवालय, दमण

- | | |
|--|--------------|
| 1. उप सचिव (शिक्षा) | - अध्यक्ष |
| 2. वरिष्ठ आशुलिपिक | - सदस्य |
| 3. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक | - सदस्य |
| 4. हिन्दी समन्वयक | - सदस्य सचिव |

6. कार्मिक विभाग, सचिवालय, दमण

1. उप-सचिव (कार्मिक) - अध्यक्ष
2. अधीक्षक - उपाध्यक्ष
3. सभी आशुलिपिक - सदस्य
4. सभी सहायक - सदस्य
5. सांख्यिकीय सहायक - सदस्य
6. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
7. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

7. योजना एवं सांख्यिकी विभाग और सरकारी मुद्रणालय, दमण

1. उप-निदेशक (योजना एवं सांख्यिकी एवं मुद्रणालय) - अध्यक्ष
2. अनुसंधान सहायक - उपाध्यक्ष
3. सभी सांख्यिकीय सहायक - सदस्य
4. अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय - सदस्य
5. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
6. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

8. समाहर्तालय, दमण (शहरी सर्वेक्षण, समाज कल्याण, खण्ड विकास, नागरिक आपूर्ति, उप कारागार, सूचना एवं प्रचार, बन्दरगाह, सहकारिता, निर्वाचन प्रकोष्ठ)

1. समाहर्ता, दमण - अध्यक्ष
2. अपर जिला मजिस्ट्रेट - उपाध्यक्ष
3. सभी उप समाहर्ता - सदस्य
4. मामलतदार, दमण - सदस्य
5. जॉच अधिकारी, शहरी सर्वेक्षण - सदस्य
6. समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
7. सहायक नियंत्रक, माप-तौल - सदस्य
8. नागरिक आपूर्ति अधिकारी - सदस्य
9. अधीक्षक, उप कारागार - सदस्य
10. सूचना एवं प्रचार अधिकारी - सदस्य
11. बंदरगाह अधिकारी - सदस्य
12. सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग - सदस्य
13. अधीक्षक (समाहर्तालय) - सदस्य सचिव
14. अधीक्षक (भूमि अनुभाग) - सदस्य
15. सभी संबन्धित कार्यालयों के प्रधान लिपिक - सदस्य
16. सभी संबन्धित कार्यालयों के लेखाकार - सदस्य
17. सभी संबन्धित कार्यालयों के आशुलिपिक - सदस्य
18. सभी प्रवर श्रेणी लिपिक / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
19. वरिष्ठ लेखा परीक्षक, सहकारिता विभाग - सदस्य
20. निर्वाचन प्रकोष्ठ के वरिष्ठ कर्मचारी - सदस्य
21. संबन्धित कार्यालयों के हिन्दी समन्वयक - सदस्य

9. तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान :

1. प्राचार्य, - अध्यक्ष
2. उप-प्राचार्य - उपाध्यक्ष
3. लेखाकार - सदस्य
4. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
5. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय - अध्यक्ष
2. उप-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय - उपाध्यक्ष
3. अनुसंधान अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय - सदस्य
4. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर रोग नियंत्रण कार्यक्रम - सदस्य
5. वित्त अधिकारी, राज्य एड्स नियंत्रण संस्था - सदस्य
6. चिकित्सा अधिकारी, जिला क्षय रोग नियंत्रण मंडली - सदस्य
7. कार्यान्वयन अधिकारी, अंधत्व नियंत्रण मंडली - सदस्य
8. तकनीकी अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय - सदस्य
9. कार्यालय अधीक्षक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय - सदस्य
10. सांख्यिकीय सहायक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय - सदस्य
11. स्वास्थ्य प्रशिक्षक अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय - सदस्य
12. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

11. अधीक्षण अभियंता (लो.नि.वि.) कार्यालय :

1. अधीक्षण अभियंता - अध्यक्ष
2. कार्यापालक अभियंता (सर्वेक्षण) - उपाध्यक्ष
3. सहायक निर्माण सर्वेक्षक / सहायक अभियंता - सदस्य
4. तकनीकी सहायक - सदस्य
6. सभी कनिष्ठ अभियंता - सदस्य
7. अधीक्षक - सदस्य
8. सभी लेखाकार / अवर श्रेणी / प्रवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
10. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

12. कार्यपालक अभियंता (लो.नि.वि.) नि.प्र. - I कार्यालय :

1. कार्यपालक अभियंता - अध्यक्ष
2. सभी सहायक अभियंता - सदस्य
3. सभी कनिष्ठ अभियंता - सदस्य
4. प्रधान लिपिक - सदस्य
5. आशुलिपिक - सदस्य
7. सभी लेखाकार / प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
8. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

13. उप-पंजीयक कार्यालय :

1. उप-पंजीयक - अध्यक्ष
2. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
3. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

14. जिला पंचायत, खंड विकास कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और जिला पंचायत (शिक्षा)

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी - अध्यक्ष
2. परियोजना निदेशक - उपाध्यक्ष
3. सहायक शिक्षा निदेशक (जिला पंचायत) - सदस्य
4. कार्यपालक अभियंता (जिला पंचायत) - सदस्य
5. खंड विकास अधिकारी - सदस्य
6. सहायक जिला शिक्षा निरीक्षक - सदस्य
7. सभी संबन्धित कार्यालयों के प्रधान लिपिक - सदस्य
8. सभी संबन्धित कार्यालयों के लेखाकार - सदस्य
9. सभी संबन्धित कार्यालयों के प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
10. सभी संबन्धित कार्यालयों के हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

15. वन विभाग एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यालय :

1. वन उप संरक्षक - अध्यक्ष
2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी - सदस्य
3. क्षेत्र वन अधिकारी - सदस्य
4. संग्रहालय प्रबंधक - सदस्य
5. समन्वय पर्यवेक्षक - सदस्य
6. संबन्धित कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारी - सदस्य
7. संबन्धित कार्यालयों के हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

16. लेखा निदेशालय :

1. लेखा निदेशक - अध्यक्ष
2. लेखा उप निदेशक - उपाध्यक्ष
3. सभी सहायक लेखा अधिकारी - सदस्य
4. सहायक लेखा अधिकारी (सामान्य भविष्य निधि) - सदस्य सचिव
5. सभी लेखाकार - सदस्य
6. प्रधान लिपिक - सदस्य
7. सभी लिपिकीय वर्ग कर्मचारीगण - सदस्य
8. हिन्दी समन्वयक - सदस्य

17. जिला उद्योग केंद्र :

1. महा प्रबंधक - अध्यक्ष
2. उद्योग निरीक्षक - सदस्य
3. सांख्यिकीय अन्वेक्षक - सदस्य
4. लेखाकार - सदस्य
5. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
6. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

18. आबकारी विभाग :

1. उपायुक्त (आबकारी) - अध्यक्ष
2. आबकारी निरीक्षक - सदस्य
3. सहायक आबकारी निरीक्षक - सदस्य
4. कनिष्ठ आशुलिपिक - सदस्य
5. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
6. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

19. कृषि निदेशालय :

1. उप-निदेशक (कृषि) - अध्यक्ष
2. आंचलिक कृषि अधिकारी - उपाध्यक्ष
3. कृषि निदर्शक - सदस्य
4. सभी प्रवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
5. सभी अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
6. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

20. वास्तु योजनाकार कार्यालय :

1. वास्तु योजनाकार - अध्यक्ष
2. वास्तु योजना सहायक - सदस्य
3. सभी ड्राफ्टमैन - सदस्य
4. कनिष्ठ आशुलिपिक - सदस्य
5. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
6. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

21. वैट कार्यालय :
1. उपायुक्त (वैट) - अध्यक्ष
 2. सभी सहायक वैट अधिकारी - सदस्य
 3. वैट निरीक्षक - सदस्य
 4. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
 5. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव
22. बाल विकास परियोजना :
1. बाल विकास परियोजना अधिकारी - अध्यक्ष
 2. सभी मुख्य सेविका - सदस्य
 3. लेखाकार - सदस्य
 4. सांख्यिकीय सहायक - सदस्य
 5. बाल सेविका / ग्राम सेविका - सदस्य
 6. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
 7. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव
23. नगरपालिका कार्यालय :
1. मुख्य अधिकारी - अध्यक्ष
 2. नगरपालिका अभियंता - सदस्य
 3. कनिष्ठ अभियंता - सदस्य
 4. अधीक्षक - सदस्य
 5. लेखाकार - सदस्य
 6. प्रधान लिपिक - सदस्य
 7. सभी ड्राफ्ट्समैन - सदस्य
 8. कनिष्ठ आशुलिपिक - सदस्य
 10. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक / भंडारपाल - सदस्य
 11. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव
24. शिक्षा निदेशालय :
1. सहायक शिक्षा निदेशक - अध्यक्ष
 2. सहायक लेखा अधिकारी - सदस्य
 3. सभी प्राचार्य, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय - सदस्य
 4. सहायक शिक्षा निरीक्षक - सदस्य
 5. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
 6. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव
25. श्रम एवं रोजगार कार्यालय :
1. मुख्य निरीक्षक, फैक्टरी एवं बॉयलर्स - अध्यक्ष
 2. श्रम निरीक्षक - सदस्य
 3. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
 4. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव
26. पुलिस उप-महानिरीक्षक का कार्यालय एवं अग्निशमन कार्यालय :
1. पुलिस उप- महानिरीक्षक - अध्यक्ष
 2. मुख्य पुलिस अधिकारी - उपाध्यक्ष
 3. अग्निशमन अधिकारी - सदस्य
 4. पुलिस निरीक्षक - सदस्य
 5. पुलिस उप-निरीक्षक / सहायक निरीक्षक - सदस्य
 6. प्रधान लिपिक - सदस्य
 8. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
 9. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

27. मत्स्य उद्योग अधीक्षक का कार्यालय :

1. अधीक्षक, मत्स्य उद्योग विभाग - अध्यक्ष
2. विस्तारण अधिकारी - सदस्य
3. सभी ग्राम सेवक / सेल्समैन - सदस्य
4. सभी अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
6. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

28. परिवहन कार्यालय :

1. सहायक परिवहन निदेशक - अध्यक्ष
2. मोटर वाहन निरीक्षक - सदस्य
3. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
4. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

29. विद्युत विभाग :

1. कार्यपालक अभियंता (विद्युत) - अध्यक्ष
2. सभी सहायक अभियंता, उप-प्रभाग-I, III, IV - सदस्य
3. सभी कनिष्ठ अभियंता - सदस्य
4. सभी लेखाकार - सदस्य
5. प्रधान लिपिक - सदस्य
6. कनिष्ठ आशुलिपिक - सदस्य
7. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
8. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

30. पर्यटन विभाग :

1. सहायक पर्यटन निदेशक - अध्यक्ष
2. सूचना सहायक - सदस्य
3. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
4. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

31. राजकीय महाविद्यालय :

1. प्राचार्य - अध्यक्ष
2. हिन्दी प्राध्यापक - सदस्य
3. प्रधान लिपिक - सदस्य
4. कनिष्ठ आशुलिपिक - सदस्य
5. पुस्तकालय अध्यक्ष - सदस्य
6. लेखाकार - सदस्य
7. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
8. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

32. पशु-चिकित्सा कार्यालय :

1. पशु-चिकित्सा अधिकारी - अध्यक्ष
2. पशुपालन विस्तार अधिकारी - सदस्य
3. पशु-चिकित्सा सहायक - सदस्य
4. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक / भंडारपाल - सदस्य
6. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

33. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :

1. प्राचार्य - अध्यक्ष
2. सभी लिपिकवर्गीय कर्मचारी - सदस्य
3. भंडारपाल - सदस्य
4. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

34. सरकारी पोलिटैक्निक :

1. प्राचार्य - अध्यक्ष
2. अधीक्षक - सदस्य
3. सभी लेखाकार - सदस्य
4. कनिष्ठ आशुलिपिक - सदस्य
5. पुस्तकालय सहायक / कार्मिक सहायक - सदस्य
7. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक / भंडारपाल - सदस्य
9. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

35. सरकारी चिकित्सालय, मरवड़ :

1. चिकित्सा अधीक्षक, सरकारी चिकित्सालय - अध्यक्ष
2. सभी एक्स-रे तकनीशियन - सदस्य
3. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
4. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव


36. बहु-उद्देशीय औद्योगिक विकास निगम :

1. प्रबंध निदेशक - अध्यक्ष
2. सभी महा प्रबंधक - सदस्य
3. सभी प्रबंधक / सभी सहायक प्रबंधक - सदस्य
4. सभी सहायक लेखा अधिकारी - सदस्य
5. सभी लेखाकार / लेखा सहायक - सदस्य
6. सभी सहायक - सदस्य
7. सभी कनिष्ठ अभियंता - सदस्य
8. सभी आशुलिपिक - सदस्य
9. सभी प्रवर श्रेणी / अवर श्रेणी लिपिक - सदस्य
10. हिन्दी समन्वयक - सदस्य सचिव

समिति के कार्य :

1. संघ क्षेत्र स्तर पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में प्रशासक महोदय / अध्यक्ष द्वारा लिये गए निर्णयों को कार्यान्वित करवाना तथा इनमें पाई गई कमियों को पूरा करना एवं हिन्दी में किये जाने वाले काम-काज को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देना ।
2. इस समिति की बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को कार्यान्वित करवाना ।
3. सदस्य सचिव की यह जिम्मेदारी रहेगी कि राजभाषा कार्यान्वयन उप-समिति की बैठक प्रत्येक तिमाह में आयोजित करवाये और उसके कार्यवृत्त की एक प्रति राजभाषा विभाग, सचिवालय तथा दूसरी प्रति उप-निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नवी मुंबई को भेजे व बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई से भी राजभाषा विभाग, सचिवालय, दमण को अवगत करवाये ।

प्रशासक, दमण एवं दीव
के आदेश एवं नामानुसार


(प्रकाश चंद्र)

उप-सचिव (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

1. सभी कार्यालय अध्यक्ष, दमण.
2. माननीय प्रशासक की निजी सचिव, सचिवालय, दमण.
3. विकास आयुक्त की निजी सचिव, सचिवालय, दमण.
4. सचिव (राजभाषा) की निजी सहायक, सचिवालय, दमण
5. पुलिस उप-महा निरीक्षक के निजी सहायक, दमण.
6. समाहर्ता/ जिलाधीश की निजी सहायक, दमण.
7. वन संरक्षक के निजी सहायक, दमण.
8. प्रबन्ध निदेशक, बहुउद्देशीय औद्यो. विकास निगम, दमण .
9. सहायक निदेशक (राजभाषा), सचिवालय, दमण.
10. गार्ड फाइल / कार्यालय प्रति